उनवान—जोगा वगैरा बनाम बीजला वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 197 / 2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन— 197 / 2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. जोगा पुत्र जीवा 2. अणदा पुत्र रतना 3. कृष्ण पुत्र रतना 4. पुरखा पुत्र रतना 5. भला पुत्र रतना 6. मफा पुत्र उदा 7. मसरू पुत्र रतना 8. रूपा पुत्र जीवा जातियान रबारी निवासीगण रामदेरिया पश्चिम, एकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. बीजला पुत्र हमीरा 2. भूरा पुत्र हमीरा 3. वगता पुत्र हमीरा 4. केसाराम पुत्र लालाराम फौत के कायम मुकाम (1) वेलाराम पुत्र केसाराम (2) मुलाराम पुत्र केसाराम (3) नारणाराम पुत्र केसाराम (4) भडाराम उर्फ मुकेश पुत्र केसाराम (5) लीलादेवी पत्नी केसाराम 5. नागजी पुत्र लालाराम 6. भूराराम पुत्र लालाराम 7. भानाराम पुत्र लालाराम 8. रूडाराम पुत्र लालाराम 9. रामाराम पुत्र मसरू 10. हुगीदेवी पत्नी मसरू जातियान रबारी, निवासीगण रामदेरिया पश्चिम (एकल) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 11. मेहका पुत्र भुता जाति भील निवासी रामदेरिया पश्चिम(एकल) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 12. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :— श्री महिपालदान चारण
विप्रार्थी संख्या 01 से 03, 04(4) व 07 के वकील— श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांकः— 12/01/2026

प्रार्थीगण जोगा पुत्र जीवा जाति रबारी निवासी रामदेरिया पश्चिम, एकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम रामदेरिया पश्चिम, पटवार हल्का— एकल, भू.अभि.नि. अरटी, तहसील सेड़वा जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र– सेडवा, जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 45 रकबा 6.0055 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम का आया हुआ है. जिसमें प्रार्थीगण की वर्षो पुरानी रहवासीय ढाणी आयी हुई है। प्रार्थीगण को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने जानें के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जानें के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम– रामदेरिया पश्चिम, पटवार हल्का एकल, भु.अभि.नि. अरटी, तहसील सेडवा जिला बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, जिला बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र–सेड़वा के खसरा नम्बर 44 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 524/44 रकबा 4.7024 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम में से 20 फीट के चौडे रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने–जानें के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने–जानें का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया जो विप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा श्रीमान न्यायालय में रास्ते हेतु राजस्व आवेदन संख्या 136/2024 उनवान बीजला वगैरा बनाम महका वगैरा का पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें नायब तहसीलदार सेड़वा द्वारा बनाई गई मौका फर्द में प्रस्तावित रास्ते को जोड़ता हैं जो परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया हैं। उक्त स्थान से रास्ता वर्षो से चालू था, अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। ग्राम रामदेरिया पश्चिम पटवार हल्का एकल, भु.अभि.नि. अरटी, तहसील सेडवा जिला बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र सेडवा, जिला बाड़मेर (राज.) में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है तथा जिनमें आने–जानें हेतु प्रार्थीगण रास्ता चाहता है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रामदेरिया पश्चिम, पटवार हल्का–एकल, भु.अभि.नि. अरटी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र–सेड़वा, जिला बाडमेर (राज.) में विप्रार्थीण का खातेदारी खेत स्थित है। निवेदन यह है कि प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनें खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 20 फीट चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे नक्शे में चिन्हित स्थान पर ही सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता है, जिसे सलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने–जानें खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने–जानें, काश्त के साधन, उपकरण लाने–ले जाने, राशन सामग्री लानें–ले जाने इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अन्यन्त आवश्यकता है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि से चलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण रास्ता की सुविधा के अधिकार पानें का कानूनी हकदार हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करनें को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सेडवा के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का आवागमन में बाधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

कारित न करें, न करावें तथा न आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व न करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस / सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर / 2025 / 1960 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. / 2025 / 1121 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 03, 04(4) व 07 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने वकालतलनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया है।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2025 अनुसार जोगाराम पुत्र जीवाराम, रूपाराम पुत्र जीवाराम, नारायण पुत्र मफाराम व मलाराम पुत्र वगताराम जातियान रबारी की उपस्थित में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	बीजला भूरा वगता पि. हमीरा जाति रबारी सा. देह खातेदार रहन—बीजला वगता का हि. दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक सेड़वा	44	4.7105 हैक्टेयर	20 फीट	0.09 हैक्टेयर	रामदेरिया पश्चिम	बा.सो.
2.	नागजी भूराराम भानाराम रूडाराम पि. लालाराम 2 / 3 हिस्सा वेलाराम नारणाराम मुकेश मूलाराम पि. केसाराम लीलो पत्नी केसाराम 1 / 6, रामाराम पुत्र	524 / 44	4.7024 हैक्टेयर	20 फीट	0.12 हैक्टेयर	रामदेरिया पश्चिम	बा.सो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

	मसरू 1/12 हुगीदेवी पत्नी मसरू 1/12 हि. कौम रबारी सा. देह खातेदार						
3.	मेहका पुत्र भुता कौम भील सा. देह खातेदार रहन एसबीआई सेड़वा	579/43	21.8611 हैक्टेयर	20 फीट	0.06 हैक्टेयर	एकल	बा.सो.

प्रार्थीगण जोगाराम वगैरा द्वारा खसरा नंबर 44, 524/44 में से रास्ता चाहा गया है। जिसे संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाया गया है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थित मौतबिरान ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

विप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट अनुसार संशोधित शीर्षक पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एकतरफा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर निकटतम विकल्प से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 45 में जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 44, 524/44 में से रास्ते की मांग की गईहै। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में रास्ते की मांग निकटतम विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद सुविधाजनक रास्ते की मांग की गई है। दिनांक 08.10.2025 को भू.अ.निरीक्षक द्वारा विप्रार्थीगण को बिना सूचना के नोटिस दिए एकतरफा एवं मनमर्जी से मौका रिपोर्ट बनाई गई जिसमें विप्रार्थीगण के खेत से प्रार्थीगण के खेत तक जाने का रास्ता प्रस्तावित किया गया। भू.अ.निरीक्षक द्वारा जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया है, उस स्थान से अधिक लंबी दूरी होने के बावजूद उसी स्थान पर प्रस्तावित किया गया है। जबकि पड़ौसी खसरा संख्या 579/43 में से एक अन्य निकटतम विकल्प भी दर्शाया गया है। प्रकरण में विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पर वकील उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन, अवलोकन किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 द्वारा मौका रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति सुसंगत साक्ष्यों व तथ्यों के अभाव में निराधार व सारहीन होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:32:45 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) सेड़वा

मनोहर नारायण नारायण

कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अस्तु, मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आलोक में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त रास्ते से संबंधित मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	बीजला पुत्र भूरा वगता पि. हमीरा जाति रबारी सा. देह खातेदार रहन–बीजला वगता का हि. दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक सेड़वा	44	4.7105 हैक्टेयर	20 फीट	0.09 हैक्टेयर	रामदेरिया पश्चिम	बा.सो.
2.	नागजी भूराराम भानाराम रूडाराम पि. लालाराम 2/3 हिस्सा वेलाराम नारणाराम मुकेश मूलाराम पि. केसाराम लीलो पत्नी केसाराम 1/6 रामाराम पुत्र मसरू 1/12 हुगीदेवी पत्नी मसरू 1/12 हि. कौम रबारी सा. देह खातेदार	524/44	4.7024 हैक्टेयर	20 फीट	0.12 हैक्टेयर	रामदेरिया पश्चिम	बा.सो.
3.	मेहका पुत्र भुता कौम	579/	21.86[illegible]	[illegible]	0.05 हैक्टेयर	एकल	बा.सो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

	भील सा. देह खातेदार रहन एसबीआई सेड़वा	43	हैक्टेयर	फीट			

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2025/1121 दिनांक 28.10.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 08.10.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.10.2025 मय फर्द दिनांक 08.10.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: Self Attested

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता देने हेतु आज दिनांक 12/01/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 176 दिनांकः—16.01.2026

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राज आ.स 197 / 2025 उनवान जोगा वगैरह बनाम बीजला में अंतर्गत धारा 251 ए में निर्णय दिनांक 12.01.2026 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशि की स्वीकृति बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी आपके राज आ.स 197 / 2025 निर्णय दिनांक 12.01.2026 के संदर्भ में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सलंग्न मा. न्यायालय के राज आ.सं स 197 / 2025 उनवान जोगा वगैरह बनाम बीजला में अंतर्गत धारा 251 ए में निर्णय दिनांक 12.01.2026 की पालना हेतु निरीक्षक (भू.अ.) अरटी को निर्देशित किये जाने पर निरीक्षक (भू.अ.) अरटी द्वारा निर्वापित अभिघृति राजस्व ग्राम रामदेरिया पश्चिम के ख.न. 44, 524 / 44 में से रकबा क्रमशः 0.09, 0.12 व राजस्व ग्राम एकल के खसरा नम्बर 579 / 43 रकबा 0.06 हैक्टयर की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य सरंचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन की गणना सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में निरीक्षक (भू.अ.) अरटी से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिपोर्ट बाद जांच व प्रति हस्ताक्षर के स्वीकृति व अग्रीम आदेशार्थ श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

सलंग्नः— उपरोक्तानुसार। सादर।

(जोताराम मीणा)
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

सेवा मे,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
सेड़वा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 197/2025 अनवान जोगा वगैरह बनाम बीजला वगैरह अन्तर्गत 251A RT Act मे निर्णय दि० 12/01/2025 की पालना मे क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण बाबत ।

महोदयजी,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 197/2025 अनवान जोगा वगैरह बनाम बीजला वगैरह अन्तर्गत 251A RT Act मे निर्णय दि० 12/01/2026 के अनुसार निर्णित रास्ते मे समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशी (वर्तमान DLC दर की दुगुनी) को प्रभावित पक्षकार को भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है -

क्र० स०	ग्राम	खसरा	रकबा (रास्ते मे प्रयुक्त भूमि)	निर्णित रास्ते के खातेदार जिनको क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है	पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति राशि (रू०)
1	रामदेरिया पश्चिम	44	~~0.1105 हेक्ट.~~ 0.09 हे	बीजला पुत्र हमीरा जा० रबारी 1/3	11400/-
				भूरा पुत्र हमीरा जा० रबारी 1/3	11400/-
				वगता पुत्र हमीरा जा० रबारी 1/3	11400/-
2	रामदेरिया पश्चिम	524/44	0.12 हे०	नागजी पुत्र लालाराम जा० रबारी 1/6	7600/-
				भूवाराम पुत्र लालाराम जा० रबारी 1/6	7600/-
				मानाराम पुत्र लालाराम जा० रबारी 1/6	7600/-
				रूडाराम पुत्र लालाराम जा० रबारी 1/6	7600/-
				वेलाराम ~~नारणाराम~~ पि० केसाराम 1/30	1520/-
				नारणाराम पुत्र केसाराम जा० रबारी 1/30	1520/-
				मुकेश पुत्र केसाराम जा० रबारी 1/30	1520/-
				मूलाराम पुत्र केसाराम जा० रबारी 1/30	1520/-
				लीलो पत्नी केसाराम जा० रबारी 1/30	1520/-
				रामाराम पुत्र मसरू जा० रबारी 1/12	3800/-
				हुगीदेवी पत्नी मसरू जा० रबारी 1/12	3800/-
				सा० देह खातेदार	
3	एकल	579/43	0.06 हेक्ट०	मेहका पुत्र भुता कौम भील सा० देह खातेदार	22800/-
				अक्षरे एक लाख दो हजार छः सौ रूपये मात्र कुल योग	102600/-

ग्राम रामदेरिया पश्चिम के खसरा स. 44, 524/44 व एकल के खसरा स. 579/43 मे के निर्णित रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कुल क्षतिपूर्ति राशि 102600/- रूपये प्रभावित पक्षकारों को देय होगी उक्त रास्ते मे किसी प्रकार का किसी किमती पेड मकान इत्यादि नहीं है।
अग्रीम कार्यवाई हेतु रिपोर्ट श्रीमानजी को सादर पेश है।

[signature]
16/01/26,
वसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त......भेरटी......तह. सेड़वा

[signature]
तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2025/1760 दिनांक :– 20/8/25

प्रेषिती :– तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 197/2025 अनवान जोगा वगैरा बनाम बीजला वगैरा अन्तर्गत राज. काश्त. अधिनियम की धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त राजस्व आवेदन में प्रार्थीगण को अपने खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार हल्का एकल भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 45 रकबा 6–0055 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 44 रकबा 4–7105 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 524/44 रकबा 4–7024 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से रास्ता दिया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सूचना के नोटिस देते हुए तथा दोनो पक्षों के रूबरू जहां से नजदीकी रास्ता पड़ता हो, वहां से मौका रिपोर्ट तैयार कर मौका रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक ......16/09/25...... से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बीजला वगैरा	44	4–7105	20 फिट		रामदेरिया पश्चिम		बारानी सोयम
2	केसाराम वगैरा	524/44	4–7024	20 फीट		रामदेरिया पश्चिम		बारानी सोयम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/1121 दिनांकः—28.10.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः— राजस्व आवेदन सं 197/2025 अनवान जोगा वगैरह बनाम बीजला वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 197/2025 अनवान जोगा वगैरह बनाम बीजला वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम रामदेरिया पश्चिम के खसरा 45 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के राजस्व ग्राम रामदेरिया पश्चिम के खेत खसरा नं. 44, 524/44 और राजस्व ग्राम एकल के खसरा नम्बर 579/43 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक अरटी द्वारा दिनांक 08.10.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

अनवान जोगा वगैरा बनाम बीजला वगैरा अन्तर्गत धारा 251 A राज० अधि० 6 197/2025 से.

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......नरसाराम...... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त.......अरटी......, कार्यालय, तहसीलदार ......सेड़वा...... के आदेश कमांक 886-887 दिनांक 01.09.25 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 08/10/25 समय ...4.....बजे आराजी खसरा नम्बर-44, 524/44 वाके ग्राम रामडेरिया पश्चिम पटवार मंडल .....एकल...... पर श्री .....खेताराम..... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को ~~तहसील~~ भू.अ. निरीक्षक कार्यालय से नोटिस कमांक ....SP-1..... दिनांक 06/10/25..... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम		पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	जोगाराम	पुत्र	जीवाराम		रेबारी	प्रार्थी
2.	रूपाराम	पुत्र	जीवाराम		रेबारी	प्रार्थी
3.	नारायण	पुत्र	रूपाराम		रेबारी	प्रार्थी पुत्र
4	मलाराम	पुत्र	वगताराम		रेबारी	विप्रार्थी

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा (हे)	रास्ते की चौड़ाई	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा (हे.)	ग्राम	किस्म
1.	बीजला पुत्र वगता पि० भीया जाति रबारी सा० देह खातेदार रहन - बीजला वगता का रहि० दी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक सेड़वा	44	4.7105 हे०	20 फीट	0.09 हेक्टर	रामडेरिया पश्चिम	बा०मो
2	नागजी पुत्र रामा भानीराम हि० रूपाराम पि० लालाराम 2/3 हि० वेलाराम नारणाराम मुकेश मूलाराम पि० केसाराम लीलो पत्नी केसाराम 1/6 रामाराम पुत्र मसरू 1/12 दुर्गीदेवी पत्नी मसरू 1/12 हि० कौम रबारी सा० देह खातेदार	524/44	4.7024 हे०	20 फीट	~~0.09~~ 0.12 हे०	रामडेरिया पश्चिम	बा०मो
3	मेहरा पुत्र भुता कौम भील सा० देह खातेदार रहन - SBI सेड़वा	[illegible]	[illegible] हे०	[illegible] फीट	0.06 हे०	एकल	बा०मो

प्रार्थीगण जोगाराम वगैरा द्वारा ख० न० 44, 524/44 में से रास्ता चाहा गया है। जिसे संलग्न नक्शे में वरंग लाल दर्शाया गया है।

पटवारी | ILR अरटी

नारायण | नारणा

मकोडम

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	जोगाराम s/o	जीवाराम	रेबारी		प्रार्थी
2	रूपाराम s/o	जीवाराम	रेबारी		प्रार्थी
3.	नारायण s/o	मफाराम	रेबारी		प्रार्थी पुत्र

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	मलाराम पुत्र	वगताराम		रेबारी	अप्रार्थी

मौका रिपोर्ट के क्र० 3 पर अंकित खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1	सेन्धाराम s/o	सुरताराम	48	रेबारी	सा० एकल
2.	मीर मोहम्मद s/o	आहली	40	मुसलमान	सा० एकल
3	नारणाराम s/o	मेहमाराम	35	~~रेबारी~~ भील	सा० एकल

इस प्रकार आज दिनांक 08/10/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

C.S.

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

आ.नि. जोगाराम
आ.नि. रूपाराम
नारायण
आ.नि. सेन्धाराम
नारणा
मीरमोहम्मद

राजस्व आवेदन सं 197/2025 कनाराम जोगा वगैरा वनाम बीजला वगैरा अन्तर्गत धारा 251 A RT Act में प्रस्तावित रास्ता

मौजा रामदेरिया पश्चिम
प० म० - एकल

पेशी कोर्ट

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

संकेत

प्रस्तावित रास्ता

08/10/25
खेताराम
पटवारी (भू. अ.)
पटवार मण्डल ...
तहसील सेड़वा

08/10/25

ILR अरटी

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:45 IST
Reason: SelfAttested

अं.नि. जोगाराम

अं.नि. कानाराम

अं.नि.

नरेन्द्र

नारायण

नारणा